न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 114/2020

निर्णय दिनांक :– 22.01.2021

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. उच्छब चन्द्र पुत्र जगदीश धाकड़ उम्र 55 वर्ष निवासी खेड़ा बालाजी तह. दूनी जिला टोंक (राज0)
2. मदन लाल पुत्र कन्हैया लाल धाकड़ उम्र 52 वर्ष निवासी खेड़ा बालाजी तह. दूनी जिला टोंक (राज0)

– प्रार्थी–

बनाम

1. रामसहाय पुत्र नारायण उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम बालून्दा तह. दूनी जिला टोंक (राज0)
2. मैना पुत्री नारायण पत्नी रामलाल उम्र 25 वर्ष निवासी बालून्दा तह. दूनी जिला टोंक हाल नि0 इसरदा जि0 सवाई माधोपुरा (राज0)
3. तुलसा पत्नी नारायण उम्र 70 वर्ष निवासी ग्राम बालून्दा तह. दूनी जिला टोंक (राज0)
4. कमलेश पत्नी सोजी उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम बालून्दा तह. दूनी जिला टोंक (राज0)
5. अजय पुत्र सोजी नाबालिग संरक्षक माता कमलेश देवी निवासी बालून्दा तह. दूनी जिला टोंक (राज0)
6. अभिषेक पुत्र सोजी नाबालिग संरक्षक माता कमलेश देवी निवासी बालून्दा तह. दूनी जिला टोंक (राज0)
7. तहसीलदार महोदय, दूनी तहसील कार्यालय दूनी जिला टोंक (राज0)

– अप्रार्थीगण –

उपस्थिति :–
श्री राजेश कुमार नागर
अधिवक्ता प्रार्थीगण

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए, आर.टी.एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी सं0 1 की खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजीयात खाता संख्या 10 ख. नं. 140, 142 कुल किता 2 रकबा 3.25 है0 बारानी 2 प्रार्थी सं0 2 की खाता संख्या 188 ख. नं. 139, 141 कुल किता 2 रकबा 3.18 है0 बारानी 2 वाके तनग्राम बालून्दा पटवार हल्का बालून्दा तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि पर एक सामलाती कुंआ खुदवा रखा हे जिस पर प्रार्थी का हमेशा आना जाना रहता है । प्रार्थी अपने उक्त आराजीयात पर समय–समय पर हकाई –जुताई करने व कुंए पर कृषि कार्य हेतु ट्रेक्टर ट्रोली व अन्य साधनो

की आवाजाही रहती है। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी आराजी तक पहुंचने के लिये कोई वैकल्पिक मार्ग/ रास्ता रिकॉर्ड एवं मौके पर उपलब्ध नही है और प्रार्थीगण को उक्त आराजीयात पर आने–जाने व कृषि कार्य हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। प्रार्थीगण उक्त आराजीयात पर जाने के लिए बालून्दा से ठिकरियाकला जाने वाले रास्ते के उतर की ओर अप्रार्थीगण की लगती हुई कृषि भूमि खाता सख्या 113 ख. नं. 136 बारानी 2 रकबा 0.70 है0 स्थित है, जिसमें से होकर ही प्रार्थी अपने कुंए खेत पर आ जा सकता है तथा प्रार्थीगण की आराजीयात पर आने जाने हेतु सुगम एवं सरल है। इस कारण प्रार्थीगण को अपनी उक्त आराजीयात पर आने जाने पर अप्रार्थीगणों द्वारा बाधा उत्पन्न की जाती है तथा प्रार्थी से लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू है। प्रार्थी को अपनी उक्त आराजीयात पर आने जाने हेतु अप्रार्थीगण से रास्ता दिलाया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी की उक्त आराजीयात से पहले अप्रार्थीगण की कब्जे खातेदारी की भूमि ख. नं. 136 बारानी 2 वाके तनग्राम बालून्दा पटवार हल्का बालून्दा तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थी उक्त आराजीयात में से ही होकर अपनी आराजीयात पर आता जाता है तथा काश्त करता है लेकिन विधिवत रूप से रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामाना करना पड़ता है। इस कारण प्रार्थी को अप्रार्थीगण की उक्त आराजियात में से रास्ता दिलाया जाना न्यायोचित व अति आवश्यक है। प्रार्थी रास्ते की नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा कराने को तैयार व तत्पर हैं अप्रार्थीगण संख्या 7 लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया हैं अन्य कोई रिलीफ नहीं चाही गई है।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 बावजुद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

अप्रार्थी संख्या 7 तहसीलदार दूनी ने उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में जवाब/विस्तृत मौका रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार है:– प्रार्थीगण ग्राम बालून्दा के आराजी खसरा नम्बर 140, 142, 139, 141 पर पहुंचने के लिए रास्ता चाहता है। प्रार्थीगण की आराजी पर पहुंचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक है। प्रस्तावित रास्ते की चौडाई 6 मीटर एवं लम्बाई 24 मीटर कुल क्षैत्रफल 144 वर्ग मीटर होगा। प्रस्तावित रास्ते का ख. नं. 136 में से है। प्रस्तावित रास्ते की डीएलसी दर 2,47,698/– रू0 प्रति हैक्टेयर है। डी.एल.सी दर से प्रस्तावित रास्ते की दुगुनी प्रतिकर राशि 7134/– रूपये होती है। आवेदक की आराजी ख. नं. 140 रकबा 1.74 है0, ख. नं. 142 रकबा 1.51 है0 उच्छब चन्द पुत्र जगदीश धाकड़ एवं ख. नं. 139 रकबा 1.48 है0, ख. नं. 141 रकबा 1.70 है0 मदनलाल पुत्र कन्हैया लाल धाकड़ निवासी खेड़ा बालाजी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण ख. नं. 136 में से रास्ता चाहता है जो प्रार्थीगण की आराजी तक पहुंचेगा। प्रस्तावित रास्ते को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया हैं । प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना जैसे पेड, दीवार, पक्का निर्माण नही है। अप्रार्थीगण उक्त रास्ता देने के लिए सहमत है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुर रहमान बनाम सरकार प्रकरण से प्रभावित नहीं है। मौका रिपोर्ट, मूल नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी की रिपोर्ट संलग्न कर मय अभिशंषा , के सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि प्रार्थी को स्वयं की आराजी में पहुंचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक है। अप्रार्थीगण ने भी रास्ते बाबत सहमति दी है। अतः रिपोर्ट अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर तरमीम करवाने के आदेश प्रदान करे।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2073—76 के खाता संख्या 10 ख. नं. 140, 142 कुल किता 2 रकबा 3.25 है0 बारानी 2 प्रार्थी सं0 2 की खाता संख्या 194 ख. नं. 139, 141 कुल किता 2 रकबा 3.18 है0 बारानी 2 मे कृषि कार्य के लिए आने जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। इस बाबत अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इन अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं बताया। तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजी में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और प्रार्थी की आवश्यकता आत्यंन्तिक है और रास्ते में अन्य कोई संरचना दीवार, पेड़ इत्यादि नहीं है तथा अप्रार्थीगण रास्ता देने हेतु सहमत है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी को काश्त करने हेतु अपनी आराजी में आने जाने हेतु रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार दूनी को आदेशित किया जाता है कि रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस अनुसार प्रस्तावित रास्ते के ख. नं. 136 में से चौडाई 6 मीटर एवं लम्बाई 24 मीटर कुल क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है। प्रस्तावित रास्ते की डीएलसी दर 2,47,698/— रू0 प्रति हैक्टेयर है। डी.एल.सी दर से प्रस्तावित रास्ते की दुगुनी प्रतिकर राशि 7134/— रूपये अथवा वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि से पुनः गणना कर, जमा करे और रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। तत्पश्चात यह राशि सम्बन्धित खातेदार अप्रार्थीगण को उनके हिस्से अनुसार प्रदान कर पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में 15 दिवस में पेश करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली